पत्रांक : 14/भा0स0प0–13–01/2018 का० ....

झारखण्ड सरकार

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

प्रेषक,

चन्द्र भूषण प्रसाद,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,
सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त,
सभी उपायुक्त,
सभी अनुमंडल पदाधिकारी,
सभी अंचल अधिकारी/प्रखण्ड विकास पदाधिकारी,
झारखण्ड।

राँची, दिनांक ....

विषय :– आव्रजित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदकों को ऑनलाईन जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक विभागीय पत्रांक–2216, दिनांक–12.07.2005, पत्र सं0–3557, दिनांक–18.10.2005 एवं पत्र सं0–4464, दिनांक–19.06.2018 के क्रम में सूचित करना है कि गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं0–BC-16014/1/82-SC & BCD-I, दिनांक–06.08.1984 (प्रति संलग्न) के द्वारा आव्रजित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदकों को जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने संबंधी संशोधित प्रपत्र एवं प्रावधान संसूचित है। साथ ही गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं0– BC-16014/1/82-SC & BCD-I, दिनांक–22.02.1985 (प्रति संलग्न) के अनुसार शिक्षा ग्रहण करने, आजीविका प्राप्त करने के उद्देश्य से कोई व्यक्ति दूसरे राज्य से आकर बस जाते हैं, इसका अर्थ यह नहीं कि उन्हें उनके निवास स्थान के राज्य में आरक्षण की सुविधा उपलब्ध रहेगी। ऐसे लोग आव्रजित श्रेणी में आते हैं और उन्हें अनुमान्य आरक्षण की सुविधा उनके मूल राज्य में ही उपलब्ध होगी।

आव्रजित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदकों को झारसेवा पोर्टल पर ऑन लाईन आवेदन समर्पित करने तथा संबंधित प्राधिकारों को ऑन लाईन प्रमाण पत्र निर्गत करने/आवेदन अस्वीकृत करने के संबंध में एन0आई0सी0 द्वारा साफ्टवेयर विकसित किया गया है (Service Definition Document की प्रति संलग्न)। उक्त के संबंध में दिनांक–10.07.2018 को विडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से प्रशिक्षण भी दिया गया है।

अनुरोध है कि आव्रजित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदकों को ऑनलाईन जाति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाय।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह0/–
(चन्द्र भूषण प्रसाद)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांकः–14/भा0स0प0–13–01/2018 का0 ..../ राँची, दिनांक ....

प्रतिलिपिः– सचिव, झारखण्ड लोक सेवा आयोग/सचिव, झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग/सचिव, झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, राँची को अनुलग्नक की प्रति के साथ सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–
सरकार के उप सचिव।

E:\chandan\letter 2018.docx

(174)

ज्ञापांकः–14 / भा0स0प0–13–01 / 2018 का0................... / राँची, दिनांक.........................

प्रतिलिपिः– राज्य सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन.आई.सी., राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांकः–14 / भा0स0प0–13–01 / 2018 का0................... / राँची, दिनांक.........................

प्रतिलिपिः– निदेशक, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, भारत सरकार, पाँचवा तल, लोक नायक भवन, नई दिल्ली–110003 को उनके पत्र सं0 बी0–2 / झारखण्ड / 4 / 2018 / सेवाएं– II, दिनांक–25.07.2018 के प्रसंग मे सूचनार्थ प्रेषित।

ह0 / –
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांकः–14 / भा0स0प0–13–01 / 2018 का0 **7233** / राँची, दिनांक **25.09.2018**

प्रतिलिपि :– नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।
25/9/2018